न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
JO Code No-UP 5743
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1162/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0 2518/2026
(CNR UPLP 01005396-2026)

सरवर अली उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र रफी मोहम्मद निवासी गौरिया, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–294/2026
धारा–109(1), 333, 352, 351(3)
बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट,
थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

04.08.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सरवर अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–294/2026, धारा–109(1), 333, 352, 351(3) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना–मोहम्मदी, जिला–लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जीतेन्द्र कुमार द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 27.05.2026, को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वादी दिनॉक–25.05.2026, को शाम करीब 06:30 बजे अपने घर के नल पर हाथ, पैर धुल रहा था कि तभी सरवर अली पुत्र रफी व अकबर अली पुत्र रफी निवासी गौरिया, जो कि उससे रंजिश मानते हैं, घर में घुस आए और उसके साथ गाली–गलौज करने लगे। वादी के विरोध करने पर विपक्षी सरवर अली ने अपनी कमर में लगा अवैध तमंचा निकाला और उस पर गोली चला दी, जो कि उसके बांये पैर में जा लगी। वादी घायल होकर मौके पर गिर गया तथा विपक्षी वादी को जान से मारने की धमकी देते हुये वहॉ से भाग गये। वादी ने घायलावस्था में अपने फोन से एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस द्वारा उसको सी0एच0सी0 मोहम्मदी में भर्ती कराया गया,

जहॉ डाक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुये जिला अस्पताल को रेफर कर दिया, जहॉ उसका इलाज चल रहा है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त अकबर अली के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रचलित है।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा दिनॉक—01.06.2026, से जिला कारागार लखीमपुर में निरूद्ध है। वादी जितेन्द्र कुमार द्वारा जिस तरह से अपनी तहरीर में लिखाया है बिल्कुल असत्य व निराधार है, प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई भी गाली—गलौज व मारपीट नहीं की गयी है और न ही उसके द्वारा गोली चलायी गयी। वादी मुकदमा ने स्वयं अपने नाजायज तमंचे से अपने पैर में गोली मारी है, वादी मुकदमा बहुत ही चालाक व फरेबी किस्म का व्यक्ति है तथा उसको झूठा फंसाने की नीयत से मुकदमा लिखाया है, जिसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। पुरानी रंजिश के कारण वादी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को कई बार धमकी दे चुका था कि तुमको किसी दिन फर्जी मुकदमें में जेल भेजवायेंगे और घटना को अंजाम दिया, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को फंसा दिया गया जबकि उक्त घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा—सादा ग्रामीण मजदूर व्यक्ति है तथा बेगुनाह है, उसके द्वारा कोई कृत्य कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी मुकदमा ने घटना दिनॉक—25.05.2026, की बतायी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक—27.05.2026, को अर्थात् दो दिन विलम्ब से लिखायी है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि घटना फर्जी व साजिशी है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने के लिए तैयार है तथा दी गयी जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा और बराबर हाजिर अदालत आता रहेगा। उपरोक्त आधारों पर दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उस पर नाजायज तमंचे से फायर करके उपहति कारित की हैं। प्रश्नगत घटना में प्रयुक्त तमंचा की

बरामदगी भी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से हुयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। तहरीर में इस आशय के कथन अंकित हैं कि दिनॉक—25.05.2026, को शाम करीब 06:30 बजे वादी मुकदमा अपने घर के नल पर हाथ, पैर धुल रहा था कि तभी प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त, जो कि उससे रंजिश मानते हैं, घर में घुस गए और वादी के साथ गाली—गलौज करने लगे। वादी के विरोध करने पर प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी कमर में लगा अवैध तमंचा निकाला और वादी पर गोली चला दी, जो कि उसके बांये पैर में जा लगी। वादी घायल होकर मौके पर गिर गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुये वहॉ से भाग गये। चश्मदीद साक्षी विनोद कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा—180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का अक्षरशः समर्थन किया गया है। मजरूब जितेन्द्र से संबंधित मेडिकल प्रपत्र का अवलोकन केस डायरी में किया गया है, जिसमें मजरूब जितेन्द्र का इलाज सी0एच0सी0 मोहम्मदी में दिनॉक—25.05.2026, को समय 09:05 पी0एम0 पर रजि0 सं0—3009 पर किया जाना तथा मजरूब के बांये पैर में घुटने के नीचे घाव होना अंकित है तथा मजरूब को चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल रेफर किया जाना तथा चिकित्सक द्वारा फायर आर्म इंजरी के चलते रेफर किया जाना अंकित है। प्रश्नगत घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा कारतूस 12 बोर की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से की जा चुकी है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

9— अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सरवर अली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

दिनॉक–04.08.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.11 10:47:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court